

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-प्र0-5/ल0ज0सं0/स्था0मु0-57/18-

कार्यालय आदेश

पटना/दिनांक-

27/02/24

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 7830, दिनांक-11.06.2019 द्वारा श्री संतोष कुमार, अवर सचिव को संविदा पर नियोजित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग आवंटित किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में श्री कुमार, अवर सचिव के संविदा अवधि का विस्तार होता रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0-11728, दिनांक- 20.06.2023 के आलोक में निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं0-154, सह पठित ज्ञापांक-4032, दिनांक- 03.07.2023 द्वारा श्री कुमार के संविदा नियोजन अवधि को विस्तारित किया गया है और सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या- 2298, दिनांक- 07.02.2024 द्वारा श्री कुमार, अवर सचिव (संविदा), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संविदा नियोजन की अवधि को 65 वर्ष की आयु के पश्चात् (दिनांक-21.01.2024) से 66 वर्ष की आयु (दिनांक-20.01.2025) तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्री कुमार, अवर सचिव(संविदा) उक्त विस्तारित अवधि में पूर्व की भाँति आवंटित कार्यों को सम्पादित करेंगे।

3. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(प्रवीण कुमार)

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग,

ज्ञापांक-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग,

ज्ञापांक-

1052

पटना/दिनांक-

27/02/24

प्रतिलिपि:-माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सचिव/सभी अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ श्री संतोष कुमार, अवर सचिव(संविदा) / सभी अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा प्रशाखा-10 एवं बजट प्रशाखा-02 सहित)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ कर्मी/ आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग,